



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2012-कार्तिक 18, शके 1934

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. रितु भवानी पिता श्री सुरेश भवानी के नाम से जानी जाती थी, दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को श्री तरूण चुघ पिता श्री मुकेश चुघ से विवाह उपरान्त मुझे श्रीमती सिया चुघ के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

( रितु भवानी )

(194-बी.)

नया नाम :

( सिया चुघ )

पता-212-बी, पलसीकर कॉलोनी,  
इन्दौर ( मध्यप्रदेश ).

#### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स भगवानदास शोभालाल जैन, पंजीयन क्रमांक 215, दिनांक 9 जनवरी, 1948 चमेली चौक, सागर में भागीदार सेठ श्री डालचन्द जैन आत्मज सेठ श्री भगवानदास जी जैन ने अपना स्वास्थ्य गिरने की वजह से फर्म से 31 मार्च, 2011 को रिटायर होने की इच्छा फर्म के समस्त भागीदारों के समक्ष की जिसे फर्म के अन्य समस्त भागीदारों ने स्वीकार किया तथा सेठ सिद्धार्थ जैन आत्मज श्री सुरेशचन्द्र जैन ने उपरोक्त फर्म में शामिल होने के लिये अनुरोध किया. फर्म के अन्य समस्त भागीदारों द्वारा फर्म में भागीदार के रूप में सेठ सिद्धार्थ जैन आत्मज सेठ श्री सुरेशचन्द्र जैन को दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से शामिल किया गया तथा सेठ श्री डालचन्द जैन आत्मज सेठ श्री भगवानदास जी जैन को फर्म से रिटायर किया गया. इस प्रकार भागीदारी फर्म के पूर्व से चले आ रहे 20 भागीदार कार्यरत हैं.

सूचनार्थ/प्रकाशित

(195-बी.)

सेठ उदयचन्द जैन

( भागीदार )

मेसर्स-भगवानदास शोभालाल जैन, सागर.

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 23 अक्टूबर, 2012

परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी लिखित परीक्षा-2010

परीक्षा, दिनांक 01 सितम्बर, 2012 ( शनिवार )

वि. क्र. 462/15/2012/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-01/चयन/2010/01 फरवरी, 2010, ऑनलाईन आवेदन अवधि 27 जून, 2012 से 27 जुलाई, 2012 तक, परीक्षा आयोजन की सूचना दिनांक 25 जून, 2012, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि में परिवर्तन की सूचना दिनांक 17 जुलाई, 2012 मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत अस्थायी पदों (परिवीक्षा अधिकारी 01 पद) तथा (कल्याण अधिकारी-02 पद) हेतु परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी लिखित परीक्षा-2010, परीक्षा दिनांक 01 सितम्बर, 2012 (शनिवार) को एक सत्र में प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक इन्दौर स्थित परीक्षा केन्द्र पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 462/15/2012/अनु.-10, दिनांक 23 अक्टूबर, 2012 द्वारा घोषित किया गया है. यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर देखा जा सकता है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जायेंगे.

3. लिखित परीक्षा **परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी लिखित परीक्षा-2010, परीक्षा दिनांक 01 सितम्बर, 2012 ( शनिवार )** के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण फार्म एवं अग्रमान्यता फार्म आयोग द्वारा डॉक से आपके द्वारा आवेदन-पत्र में दिये गये पते पर भेज दिये जायेंगे, जिन्हें विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (05 प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं समस्त प्रमाण-पत्र (प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न कर दिनांक 20 नवम्बर, 2012 तक रजिस्टर्ड डॉक द्वारा, **सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर** में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण फार्म, अग्रमान्यता फार्म एवं आवेदन-पत्र अंतिम तिथि 20 नवम्बर, 2012 तक आयोग में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त कर दी जायेगी.

4. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से आयोजित होंगे.

5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

6. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.

7. इस परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों के संशोधित प्रादर्श उत्तरकुंजी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को अपलोड कर दी गई है. अतः आयोग द्वारा उत्तरकुंजी अलग से प्रदाय नहीं की जायेगी. साक्षात्कार के बाद चयन परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही लिखित परीक्षा के कटआफ अंक आयोग की वेबसाईट पर डाले जा सकेंगे.

8. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

9. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्था की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जायेगी.

मधु खरे,

सचिव.

इन्दौर, दिनांक 23 अक्टूबर, 2012

परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी लिखित परीक्षा-2010,

परीक्षा, दिनांक 01 सितम्बर, 2012 ( शनिवार )

वि. क्र. 462/15/2012/अनु.-10.—आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-01/चयन/2010/01 फरवरी, 2010, ऑनलाईन आवेदन अवधि 27 जून, 2012 से 27 जुलाई, 2012 तक, परीक्षा आयोजन की सूचना दिनांक 25 जून, 2012, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि में परिवर्तन की सूचना दिनांक 17 जुलाई, 2012, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत अस्थायी पदों ( परिवीक्षा अधिकारी 01 पद) तथा (कल्याण अधिकारी हेतु 02 पद) हेतु परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी लिखित परीक्षा-2010 परीक्षा दिनांक 01 सितम्बर, 2012 (शनिवार) को एक सत्र में प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक इन्दौर स्थित परीक्षा केन्द्र पर आयोजित की गई थी.

कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या **परिवीक्षा अधिकारी :-**अनारक्षित-04, अनुसूचित जाति-निरंक, अनुसूचित जनजाति-निरंक, अन्य पिछड़ा वर्ग-निरंक, विकलांग-निरंक, भू.पू. सैनिक- निरंक है. **कल्याण अधिकारी:-** अनारक्षित-04, अनुसूचित जाति-03, अनुसूचित जनजाति-निरंक, अन्य पिछड़ा वर्ग- निरंक, विकलांग-निरंक, भू.पू. सैनिक-निरंक है.

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों की सूची निम्नानुसार है—

**परिवीक्षा अधिकारी**

S. No.	ROLL	NAME	REMARKS
1.	10016	ANIRUDHA KUMAR TIWARI	
2.	10177	RAM KUMAR CHAURASIA	
3.	10237	SUDHIR KUMAR MISHRA	
4.	10260	VANITA TIWARI	

**कल्याण अधिकारी**

S. No.	ROLL	NAME	REMARKS
1.	10016	ANIRUDHA KUMAR TIWARI	
2.	10101	LAKHAN LAL KORI	
3.	10168	RAJESH CHOUHAN	
4.	10177	RAM KUMAR CHAURASIA	
5.	10210	SARITA GHAROO	
6.	10237	SUDHIR KUMAR MISHRA	
7.	10260	VANITA TIWARI	

- टीपः—**
1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे.
  2. लिखित परीक्षा **परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी लिखित परीक्षा-2010 परीक्षा दिनांक 01 सितम्बर, 2012 ( शनिवार )** के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण फार्म एवं अग्रमान्यता फार्म आयोग द्वारा डॉक से आपके द्वारा आवेदन-पत्र में दिये गये पते पर भेज दिये जायेंगे, जिन्हें विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (दो प्रतियों में ) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (05 प्रतियों में ) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं समस्त प्रमाण-पत्र (प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न कर दिनांक 20 नवम्बर, 2012 तक रजिस्टर्ड डॉक द्वारा, **सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर** में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण फार्म, अग्रमान्यता फार्म एवं आवेदन-पत्र अंतिम तिथि 20 नवम्बर, 2012 तक आयोग में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त कर दी जायेगी.

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से आयोजित होंगे.
4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई बांछित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
5. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.
6. इस परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों के संशोधित प्रादर्श उत्तरकुंजी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को अपलोड कर दी गई है. अतः आयोग द्वारा उत्तरकुंजी अलग से प्रदाय नहीं की जायेगी. साक्षात्कार के बाद चयन परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही लिखित परीक्षा के कटआफ अंक आयोग की वेबसाईट पर डाले जा सकेंगे.
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
8. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

श्रीकृष्ण शर्मा,  
परीक्षा नियंत्रक.

(543)

## विविध

### निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर, 2012

#### ऑफसेट मशीन की रिपेयरिंग हेतु निविदा सूचना (Tender Notice For Repairing of Offset Machine)

क्र. शा.के.मु./भण्डार/I(34)/2012-13/4427.—शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल (मध्यप्रदेश) में स्थापित P.O.-36 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन को Overhaul करने एवं रिपेयरिंग करने के लिये मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं—

1. मैसर्स मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग-“मशीन P.O.-36 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के Overhaul” शब्द मुहरबन्द निविदा के लिफाफे पर लिखा जाये.
2. “P.O.-36 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के Overhaul” एवं रिपेयरिंग में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे :-
  - (A) Inking Units
  - (B) Printing Units
  - (C) Stock Units
  - (D) Damping Units
  - (E) Delivery Unit
  - (F) Inking Cleaning Device
  - (G) Checking of Electrical Circuits Repairing of Electrical Circuits and Replacement of Electrical & Electronics Devices and Circuits.

3. इसके अतिरिक्त मशीन के Overhaul एवं रिपेयरिंग करते समय अन्य कोई रिपेयरिंग आवश्यक कार्य होगा वह भी इसमें सम्मिलित रहेगा.
4. निविदा कार्यालय शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में दिनांक 15 नवम्बर, 2012 को अपरान्ह 5.00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं. किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी.
5. निविदा के साथ निविदा राशि ₹ 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) F.D.R. के रूप में संयुक्त नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के नाम से तैयार कर संलग्न करना अतिआवश्यक है. बिना निक्षेप राशि के निविदा प्राप्त होने पर उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.
6. निविदा दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को समिति के समक्ष पूर्वान्ह 11.30 बजे खोली जायेगी. निविदा अथवा उनका प्रतिनिधि उस तिथि को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें समक्ष में बैठने की अनुमति होगी.
7. समस्त या किसी एक निविदा/निविदाओं को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा.
8. समिति द्वारा अनुशंसा किये गये कम्पनी के दर की राशि के 3% राशि की बैंक गारण्टी अथवा F.D.R. संयुक्त नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के नाम से तैयार कर जमा करना होगा. उस राशि में निविदा निक्षेप ₹ 5,000/- सम्मिलित होगा एवं करारनामा करना होगा.
9. मशीन के Overhaul एवं रिपेयरिंग के पश्चात् संतोषजनक कार्य पूर्ण करने एवं मशीन को चालू करने पर एक माह के भीतर निविदा में समिति द्वारा अनुशंसित राशि का 90% भुगतान किया जा सकेगा.
10. तीन माह तक मशीन को संतोषजनक कार्य करने के पश्चात् शेष 10% राशि का भुगतान किया जा सकेगा.
11. मशीन में लगाए जाने वाले स्पेयर पार्टस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टस की एक साल की गारण्टी देनी होगी. एक साल के अंदर Spare Parts, Electrical Parts and Electronic Parts में कोई खराबी आती है तो कम्पनी को उसे बदलना होगा एवं मशीन को पुनः चालू करना होगा. इसके लिये उस Spare Parts, Electrical and Electronic Parts के लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा.
12. निविदा ऑफसेट मशीन के निर्माता कम्पनी ऑफसेट मशीन के मेन्टेनेंस करने वाली कम्पनी अथवा ऐसे बड़े वर्कशॉप जिन्हें ऑफसेट मशीन रिपेयरिंग करने का कम से कम 10 वर्षों का Spare Parts बनाने एवं Repairing करने का अनुभव हो वे ही निविदा में भाग ले सकते हैं.
13. निविदाकार को इस बात का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा कि उन्होंने पूर्व में शासकीय प्रेस/अर्द्धशासकीय प्रेस में स्थापित Offset Machine का Overhaul/कम्पलीट मशीन का Repairing कार्य पूर्ण किया है.
14. एक वर्ष मशीन का कार्य संतोषजनक करने पर करारनामा के अनुसार उन्हें निविदा निक्षेप राशि एवं बैंक गारण्टी/करारनामा राशि वापस की जा सकेगी.
15. मशीन के रिपेयरिंग के लिये खोलने के दिन से कितना समय रिपेयरिंग के लिये लगेगा इसके लिये समय निविदा में लिखा जाना आवश्यक है.
16. कम्पनी/फर्म अपने लेटरहेड में निविदा दर लिखकर प्रस्तुत करें एवं नीचे हस्ताक्षर कर फर्म/कम्पनी का सील लगायेंगे.
17. निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :—
  - (A) आयकर रिटर्न की फोटोकॉपी
  - (B) वाणिज्यकर अधिनियम के अनुसार वेट चुकता प्रमाण-पत्र
  - (C) Tin No. अंकित किया जावे
  - (D) राष्ट्रीयकृत बैंक का निविदा निक्षेप राशि F.D.R. का नम्बर, दिनांक, राशि ₹ 5,000/- बैंक का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य है.
  - (E) शासकीय प्रेस अथवा अर्द्धशासकीय प्रेस में Overhaul/कम्पलीट रिपेयरिंग कार्य करने का प्रमाण-पत्र
18. P.O.-36 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का निरीक्षण शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में किसी भी दिन किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर, 2012

**ऑफसेट मशीन की रिपेयरिंग हेतु निविदा सूचना**  
(Tender Notice For Repairing of Offset Machine)

क्र. शा.के.मु./भण्डार/1(58)/2012-13/4519.—शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल (मध्यप्रदेश) में स्थापित R.O.-62 के 3 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन को Overhaul करने एवं रिपेयरिंग करने के लिये मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं.—

1. मैसर्स, मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई द्वारा मैनुफैक्चरिंग-“मशीन R.O.-62 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के Overhaul” शब्द मुहरबन्द निविदा के लिफाफे पर लिखा जाये.
2. “R.O.-62 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के Overhaul” एवं रिपेयरिंग में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे :-
  - (i) Inking Units
  - (ii) Printing Units
  - (iii) Damping Units
  - (iv) Inking Cleaning Device
  - (v) Damaged Blanket Cylinder repairing or replacement
  - (vi) Repairing of Folder for one R.O.-62 Machine
  - (vii) Checking the unwind unit & adjust the unit
  - (viii) Checking of Electrical and Electronics Circuits and runing the machine
3. इसके अतिरिक्त मशीन के Overhaul एवं रिपेयरिंग करते समय अन्य कोई रिपेयरिंग आवश्यक कार्य होगा वह भी इसमें सम्मिलित रहेगा.
4. निविदा कार्यालय शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को अपराह्न 5.00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं. किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी.
5. निविदा के साथ निविदा राशि ₹ 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) F.D.R. के रूप में संयुक्त नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के नाम से तैयार कर संलग्न करना अतिआवश्यक है. बिना निक्षेप राशि के निविदा प्राप्त होने पर उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.
6. निविदा दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को समिति के समक्ष पूर्वान्ह 11.30 बजे खोली जायेगी. निविदा अथवा उनका प्रतिनिधि उस तिथि को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें समक्ष में बैठने की अनुमति होगी.
7. समस्त या किसी एक निविदा/निविदाओं को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा.
8. समिति द्वारा अनुशंसा किये गये कम्पनी के दर की राशि के 3% राशि की बैंक गारण्टी अथवा F.D.R. संयुक्त नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के नाम से तैयार कर जमा करना होगा. उस राशि में निविदा निक्षेप ₹ 5,000/- सम्मिलित होगा एवं करारनामा करना होगा.
9. मशीन के Overhaul एवं रिपेयरिंग के पश्चात् संतोषजनक कार्य पूर्ण करने एवं मशीन को चालू करने पर एक माह के भीतर निविदा में समिति द्वारा अनुशंसित राशि का 90% भुगतान किया जा सकेगा.
10. तीन माह तक मशीन को संतोषजनक कार्य करने के पश्चात् शेष 10% राशि का भुगतान किया जा सकेगा.
11. मशीन में लगाए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स एवं इलेक्ट्रॉनिकस पार्ट्स की एक साल की गारण्टी देनी होगी. एक साल के अंदर Spare Parts, Electrical Parts and Electronic Parts में कोई खराबी आती है तो कम्पनी को उसे बदलना होगा एवं मशीन को पुनः चालू करना होगा. इसके लिये उस Spare Parts, Electrical and Electronic Parts के लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा.
12. निविदा ऑफसेट मशीन के निर्माता कम्पनी ऑफसेट मशीन के मेन्टेनेन्स करने वाली कम्पनी अथवा ऐसे बड़े वर्कशॉप जिन्हें ऑफसेट मशीन रिपेयरिंग करने का कम से कम 10 वर्षों का Spare Parts बनाने एवं Repairing करने का अनुभव हो वे ही निविदा में भाग ले सकते हैं.

13. निविदाकार को इस बात का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा कि उन्होंने पूर्व में शासकीय प्रेस/अर्द्ध शासकीय प्रेस में स्थापित Offset Machine का Overhaul/कम्पलीट मशीन का Repairing कार्य पूर्ण किया है।
14. एक वर्ष मशीन का कार्य संतोषजनक करने पर करारनामा के अनुसार उन्हें निविदा निक्षेप राशि एवं बैंक गारंटी/करारनामा राशि वापस की जा सकेगी।
15. मशीन के रिपेयरिंग के लिये खोलने के दिन से कितना समय रिपेयरिंग के लिये लगेगा इसके लिये समय निविदा में लिखा जाना आवश्यक है।
16. कम्पनी/फर्म अपने लेटर हेड में निविदा दर लिखकर प्रस्तुत करें एवं नीचे हस्ताक्षर कर फर्म/कम्पनी का सील लगायेंगे।
17. निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :—
  - (A) आयकर रिटर्न की फोटोकॉपी।
  - (B) वाणिज्यकर अधिनियम के अनुसार वैट चुकता प्रमाण-पत्र।
  - (C) Tin No. अंकित किया जावे
  - (D) राष्ट्रीयकृत बैंक का निविदा निक्षेप राशि F.D.R. का नम्बर, दिनांक राशि ₹ 5,000/- बैंक का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य है।
  - (E) शासकीय प्रेस अथवा अर्द्ध शासकीय प्रेस में Overhaul/कम्पलीट रिपेयरिंग कार्य करने का प्रमाण-पत्र
18. R.O.-62 ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का निरीक्षण शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में किसी भी दिन किया जा सकता है।

यू. एन. सिन्हा,  
संयुक्त नियंत्रक  
एवं प्रभारी।

(544-A)

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल.

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, धार, जिला धार

धार, दिनांक 16 अक्टूबर, 2012

फॉर्म नम्बर-3

[ देखिये नियम-4 (2) ]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 ( तीस 1951 ) की धारा-4 के तहत न्यास पंजीयन बाबद् ]

समक्ष:— रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला धार.

क्र. 3163/रीडर-1/2012.—चूंकि “ श्री जाट समाज, जिला धार ” इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुये जायदाद के पंजीकरण ( रजिस्ट्रेशन ) के बाबद् मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है, याद रखें कि ऊपर दिये हुये अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बाबद् कोई विरोध कराने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाबदावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीर करें और मेरे समक्ष दिनांक 30 नवम्बर, 2012 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुए आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी.

अनुसूची

( लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण )

1. लोक न्यास का नाम : “ श्री जाट समाज, जिला धार ”.

2. चल सम्पत्ति : पंजाब नेशनल बैंक शाखा धार में 10,000/- (रुपये दस हजार) जमा.
3. अचल सम्पत्ति : ग्राम मगजपुरा, तहसील धार में निम्नानुसार भूमियां :-
1. सर्वे नम्बर 66/3 रकबा 0.227 हैक्टर.
  2. सर्वे नम्बर 66/4 रकबा 0.227 हैक्टर.
  3. सर्वे नम्बर 66/5 रकबा 0.268 हैक्टर.
  4. सर्वे नम्बर 68 रकबा 0.927 हैक्टर.

आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

(527)

संदीप सोनी,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, आलोट, तहसील आलोट, जिला रतलाम

आलोट, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

प्र.क्र./81/बी-121/11-12.

### प्रारूप-चतुर्थ

[देखिये नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (एक) का अधिनियम तीसवां की धारा-5 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 5 (1) अनुसार]

चूँकि श्री भग्गाजी-भेरूलालजी पारख न्यास आलोट ट्रस्ट, तहसील आलोट, जिला रतलाम के ट्रस्टी की अध्यक्ष श्री प्रकाशचंद्र लोडा पिता शांतिलालजी लोडा, जाति जैन, निवासी 94, सुभाष मार्ग, खाचरौद, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश अन्य-8 ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-(4) के अनुसार नीचे दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन की सुनवाई मेरे न्यायालय में नियत दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को प्रातः 11.00 बजे नियत की गई है.

2. कोई व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा/सम्पत्ति का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आपत्ति/आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के निकलने से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और नियत अवधि के दिन स्वयं या अपने अधिवक्ता या एजेंट द्वारा मेरे समक्ष में उपस्थित हों.

निर्धारित समय के समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम . . . श्री भग्गाजी-भेरूलालजी पारख, न्यास आलोट ट्रस्ट, तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
2. चल सम्पत्ति का विवरण . . . (क) वर्तमान में ट्रस्ट की सम्पत्ति रुपये 1,30,347/- (एक लाख, तीस हजार, तीन सौ सैंतालीस) रुपये ट्रस्ट के निष्पादनकर्ता द्वारा नगद रूप में प्रदान की गई.  
(ख) निरंक
3. अचल सम्पत्ति . . . नगर परिषद् आलोट, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश की नगर सीमा में वार्ड क्रमांक 3, पुराना वार्ड क्रमांक 2, भवन क्रमांक 51, राजेन्द्र विलास, राजेन्द्र चौक (रानीपुरा), आलोट में स्थित मकान निजी स्वत्व का मकान अनुमानित मूल्य 25,00,000/-
4. अचल सम्पत्ति का विवरण . . . निरंक

आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(528)

बी. एल. मालवीय,  
अनुविभागीय अधिकारी.



## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 3 नवम्बर, 2012

क्र./6734.— एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पीथमपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किए गए निम्नलिखित अतिरिक्त ग्रामों के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार कर सर्व-साधारण की जानकारी हेतु दिनांक 7 नवम्बर, 2012 को नगर पालिका परिषद् पीथमपुर के सभाकक्ष में प्रकाशन किया गया है और उसकी एक प्रति :-

1. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला इन्दौर एवं धार
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर

के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

#### ग्रामों की सूची

- |          |           |                  |
|----------|-----------|------------------|
| 1. डेहरी | 2. सोनवाय | 3. भैंसलाय       |
| 4. नरलाय | 5. मौकलाय | 6. पिपल्यामल्हार |

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो तो उसे कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दैनिक भास्कर के सामने, ए.बी. रोड, इन्दौर अथवा प्रकाशन स्थल पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

संजय मिश्रा,  
संयुक्त संचालक.

(545)

### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, भिण्ड

सर्व-साधारण जनता एवं पशु चराने वालों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उपचारित क्षेत्रों को 1 जुलाई से 30 जून, 2013 तक के लिये चराई से वर्जित क्षेत्र घोषित किया जाता है, जो व्यक्ति इन वर्जित क्षेत्रों में पशु चराई करायेगा उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-26 व 33 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दण्डित किया जावेगा:-

#### चराई से वर्जित क्षेत्रों की सूची, वर्ष 2012-13

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	उपचारण वृक्षारोपण वर्ष	क्षेत्र का नाम व कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल हैक्टर में
1	2	3	4	5
1.	अटेर	2007-08	कोसड़ पी. 8	134.50
2.	-''-	-''-	जमसारा पी. 2	83.00
3.	-''-	-''-	बरही आर. एफ. 44	95.10
4.	-''-	-''-	कदौरा पी. 16	88.88
5.	-''-	-''-	रैपुरा पी. 7	99.93
6.	-''-	-''-	रमा पी. 11	107.10
7.	-''-	-''-	रानी विरगवां पी. 33	149.62
8.	भिण्ड	-''-	बरही आर. एफ. 45	86.40
9.	-''-	-''-	नुन्हाटा पी. 69	130.50
10.	-''-	-''-	कनकूरा पी. 56 आर. 55, 57	107.73
11.	-''-	-''-	बैकल्पिक जखमौली पी. 86	53.21

1	2	3	4	5
12.	अटेर	2008-09	रैपुरा पी. 7	52.00
13.	-''-	-''-	रमा पी. 11	60.00
14.	-''-	-''-	कमई 34, 35	36.00
15.	-''-	-''-	सपाड पी. 46, 47, 48	51.29
16.	-''-	-''-	भदाखुर पी. 59, 59	56.17
17.	भिण्ड	-''-	नुन्हाटा पी. 70	103.95
18.	-''-	-''-	रतवा आर. एफ. 76	199.22
19.	अटेर	2009-10	अटेर पी. 5, 3, 4	30.83
20.	-''-	-''-	सराया पी. 49	94.71
21.	-''-	-''-	पी. 10	98.10
22.	-''-	-''-	आर. 29, 30, 31	113.40
23.	-''-	-''-	आर. 43	80.83
24.	-''-	-''-	आर. 54	83.28
25.	-''-	-''-	पी. 10	49.59
26.	भिण्ड	-''-	आर. 67	68.62
27.	-''-	-''-	आर. 68	110.33
28.	-''-	-''-	रतवा आर. 75 अ, ब	80.00
29.	-''-	-''-	गुमारा पी. 77	40.00
30.	अटेर	2010-11	खैराहट पी. 17	34.18
31.	-''-	-''-	डांग सरकार पी. 01	48.18
32.	-''-	-''-	रमा पी. 12	127.32
33.	-''-	-''-	सोई आर. 36, 37 अ, ब	32.40
34.	-''-	-''-	भवनपुरा पी. 60	28.60
35.	भिण्ड	-''-	रतवा आर. एफ. 76	68.37
36.	-''-	-''-	रतवा आर. एफ. 74	44.00
37.	अटेर	2011-12	खैराहट पी. 17	82.35
38.	-''-	-''-	जमसारा पी. 2	79.12
39.	-''-	-''-	रमा पी. 12	139.30
40.	-''-	-''-	भदाखुर पी. 61	144.22
41.	भिण्ड	-''-	खैरा पी. 71	50.00
42.	-''-	-''-	गुमारा पी. 77	35.00
43.	अटेर	-''-	परा. आर. एफ. 38	30.00

यू. एस. रस्तोगी,  
वनमण्डलाधिकारी.

**श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर**

इन्दौर, दिनांक 03 अक्टूबर, 2012

प्रति,

.....  
 .....  
 .....

**विषय:**—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से न्यूनतम वेतन की दरें प्रभावशील करने के संबंध में.

क्र./1/9/अ./पांच/2009/36713-37012.—उपरोक्त विषयान्तर्गत 38 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से प्रभावशील की गई हैं जो निम्नानुसार हैं:—

**अनुसूची-अ**

35 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है.

( आंकड़े रुपयों में )

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
अकुशल	3070.00	118.07	1875.00	72.11	4945.00	190.12	190.00
अर्धकुशल	3200.00	123.08	1875.00	72.11	5075.00	195.20	195.00
कुशल	3350.00	128.85	1875.00	72.11	5225.00	200.97	201.00

**अनुसूची-ब**

किसी स्लेट पेंसिल निर्माणशाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है

( आंकड़े रुपयों में )

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
कटर्स	4320.00	166.18	1875.00	72.11	6195.00	238.30	238.00
रोलर्स, मिस्त्री, पाईटर्स	3687.00	141.81	1875.00	72.11	5562.00	213.93	214.00
पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	3189.00	122.67	1875.00	72.11	5064.00	194.79	195.00
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	3350.00	128.85	1875.00	72.11	5225.00	200.97	201.00
मजदूर	3075.00	118.27	1875.00	72.11	4950.00	190.39	190.00

## स्पष्टीकरण:—

1. प्रमुख सचिव, श्रम द्वारा दिये गये सुझाव पर मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20 जून, 2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाय. तदनु रूप प्रतिदिन रुपये में राउण्ड-अप कर दैनिक दरें निर्धारित की गई हैं.
2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/1006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा.

## अनुसूची-स

## किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है  
( आंकड़े रुपयों में )

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंड अप कर दैनिक दरें प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
<b>लिपिकीय वर्ग—</b>							
श्रेणी-एक	3350.00	128.85	1875.00	72.11	5225.00	200.97	201.00
श्रेणी-दो	3200.00	123.08	1875.00	72.11	5075.00	195.20	195.00
<b>कुशल श्रमिक—</b>							
श्रेणी-एक	3850.00	148.08	1875.00	72.11	5725.00	220.20	220.00
श्रेणी-दो	3543.00	136.27	1875.00	72.11	5418.00	208.39	208.00
श्रेणी-तीन	3350.00	128.85	1875.00	72.11	5225.00	200.97	201.00
<b>अर्धकुशल श्रमिक—</b>							
श्रेणी-एक	3355.00	129.05	1875.00	72.11	5230.00	201.17	201.00
श्रेणी-दो	3200.00	123.08	1875.00	72.11	5075.00	195.20	195.00
<b>अकुशल श्रमिक</b>	<b>3070.00</b>	<b>118.07</b>	<b>1875.00</b>	<b>72.11</b>	<b>4945.00</b>	<b>190.19</b>	<b>190.00</b>

## अनुसूची-द

## कृषि नियोजन ( आंकड़े रुपयों में )

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंड-अप कर दैनिक दरें प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	2550.00	85.00	1416.00	132.20	3966.00	132.20	132.00

## अनुसूची-ई

## बीड़ी नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन
बीड़ी रोलर— ( 1000 बीड़ी बनाने के लिये )	रु. 22.50	रु. 33.50	रु. 56.00

1000 बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रु. 56.00 के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (4.90) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (रु. 2.80) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (5.88) इस प्रकार कुल रु. 63.70 देय होगी. इस सकल देय राशि में से श्रमिक का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रु. 11.76 की होगी. इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 की अवधि में श्रमिकों को कुल रुपये 63.70 एवं भविष्य निधि कटौती उपरान्त शुद्ध राशि रु. 57.82 देय होगी.

**अनुसूची-एफ**  
**अगरबत्ती नियोजन**

अगरबत्ती रोलर— (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)			
साधारण अगरबत्ती	रु. 6.31	रु. 7.33	रु. 13.64
सुगंधित अगरबत्ती	रु. 6.78	रु. 7.33	रु. 14.11

(529)

**प्रभात दुबे,**  
उप श्रम आयुक्त.

**कार्यालय परिसमापक एवं कार्यपालन यंत्री ( संचा./संधा. ) म. प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि., मैहर**

मैहर, दिनांक 11 अप्रैल, 2012

क्र.053-43/परि./328-329.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्रमांक परि./2012/274, दिनांक 28 फरवरी, 2012 के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, अमरपाटन जिला सतना.	A-R/STA/ 629 Dt. 30-5-1984	परि./2012/274 दिनांक 28-2-2012.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के संबंधित दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर ( 60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय कार्यपालन यंत्री ( संचा./संधा. ) म. प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि., मैहर, जिला सतना मध्यप्रदेश में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(530)

**एस. के. पाण्डेय,**  
परिसमापक एवं कार्यपालन यंत्री ( संचा./संधा. ).

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. ग्यारसपुर**

विदिशा, दिनांक 4 अक्टूबर, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत ]

क्र. Q.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर

मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अभिनव ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., ग्यारसपुर, जिला विदिशा.	675/5-03-2004	क्र./परि./2012/1386 दिनांक 24-9-2012.
2.	ईट भट्टा सहकारी संस्था मर्या., मोहनाखेजड़ा, जिला विदिशा	419/5-2-1992	—,—

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा-पुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

(531)

आर. के. सोनी,  
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

### कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-क (1) के अन्तर्गत ]

उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार शासकीय कर्मचारी प्राथमिक उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., 41/11 साउथ टी.टी. नगर, भोपाल पंजीयन क्रमांक-ए. आर. बी. 1541, दिनांक 6 अगस्त, 1957 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/पंजी. नि./09/478, भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2009 अनुसार पंजीयन निरस्त किया जाकर श्री एन. एस. चौहान, सह. निरीक्षक को शासकीय समनुदेशिती नियुक्त किया गया था. उपायुक्त सहकारिता, जिला भोपाल द्वारा शासकीय समनुदेशिती हेतु श्री एन. एस. चौहान, वरि. सह. नि. के स्थान पर प्रबंधक जिला सहकारी संघ मर्या., भोपाल को नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, एस. एन. कोरी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-2-10-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-18 (क) (1) के वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत शासकीय कर्मचारी प्राथमिक उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., 41/11 साउथ टी. टी. नगर, भोपाल पंजीयन क्रमांक/ ए. आर. बी. 1541, दिनांक 6 अगस्त, 1957 का श्री विष्णु प्रसाद मीणा, प्रबंधक, जिला सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल को शासकीय समनुदेशिती नियुक्त करता हूँ जो अधिनियम की धारा-18 (क) (2) एवं (3) के अन्तर्गत संस्था की आस्तियों की वसूली और दायित्वों के परिसमापन हेतु कार्य करेंगे. इस कार्य संपादन हेतु संस्था की आस्तियां एवं रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों का परिसमापन करेंगे तथा प्रतिमाह इसका प्रतिवेदन उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को प्रेषित करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(532)

एस. एन. कोरी,  
संयुक्त पंजीयक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./3767.—दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल जिसका पंजीयन क्र./डी.आर.बी. 461, दिनांक 3 सितम्बर, 2012 है,

को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 3331, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री मनोज श्रीवास्तव, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

आर. एस. विश्वकर्मा,  
उप-पंजीयक.

(532-A)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन

#### “कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,

मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., सिलवानी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष व निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्यादित, सिलवानी प.क्र. 920, दिनांक 8 अप्रैल, 1905 है, की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य, संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.
6. आपकी संस्था के प्रभारी अधिकारी श्री निशांत श्रीवास्तव, स.वि. अधिकारी, सिलवानी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को अकार्यशील होने से परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं, तदुपरांत प्रकरण में विधिवत निर्णय लिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,  
उप-पंजीयक.

(533)

## कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, बालाघाट

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत ]

प्राथमिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पालडोंगरी, पंजी. क्र. 599, दिनांक 6 जनवरी, 1998 विकासखण्ड बिरसा को कार्यालयीन आदेश क्र./उपंबा/परि./12/287, बालाघाट, दिनांक 7 मार्च, 2012 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिरसा को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिरसा एवं संस्था परिसमापक द्वारा संस्था को परिसमापन से बहाल करने के संबंध में संस्था सदस्यों की बैठक दिनांक 21 जुलाई, 2012 को संस्था कार्यालय में आहूत की गई. संस्था परिसमापक द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय, प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों अनुसार संस्था के पास वर्तमान में नगरपालिका परिषद, मलाजखण्ड (मोहगाँव), विकासखण्ड बिरसा का बेल तालाब 3.026 हेक्टेयर कार्यालय कलेक्टर (उप-संचालक, मत्स्य उद्योग), बालाघाट के आदेश क्र. 2692/उसंम/पट्टा/2012-13, बालाघाट, दिनांक 11 जून, 2012 से 10 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर मछली पालन एवं मत्स्याखेट हेतु अनुबंध में निहित शर्तों के अधीन प्रदाय किया गया है. साथ ही मत्स्यपालन हेतु पट्टेधारक को अपना पट्टा बैंक में बंधक रखने का भी अधिकार प्रदाय किया गया है.

चूँकि उपरोक्तानुसार संस्था के पास वर्तमान में 3.026 हेक्टेयर तालाब प्राप्त है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा एवं संलग्न सहपत्रों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि संस्था पुनर्जीवित होने के पश्चात् अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के हितों में कार्य करने हेतु सक्षम रहेगी.

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5-1-99/15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्राथमिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, पालडोंगरी पंजीयन क्रमांक 599, दिनांक 6 जनवरी, 1998 को परिसमापन में लाये जाने वाले आदेश क्र./उपंबा/परि./12/287, बालाघाट, दिनांक 7 मार्च, 2012 को एतद्वारा निरस्त करते हुये समिति के तत्कालीन संचालक मण्डल को पुनर्स्थापित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. पी. चक्रवर्ती,  
उप-रजिस्ट्रार.

(535)

## कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 29 सितम्बर, 2012

श्री तिरूपति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 1019, दिनांक 25 मार्च, 2010 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/900, दिनांक 21 अगस्त, 2012 जारी किया गया. क्यों न संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं:-

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था के अध्यक्ष सहित 22 सदस्यों द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने के लिए निवेदन किया गया.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र से संस्था को समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 20 सितम्बर, 2012 तक पुनः आवेदन कर परिसमापन में लाने के लिए मांग की गई. अतः परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तिरूपति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 1019,



दिनांक 25 मार्च, 2010 को आज दिनांक 29 सितम्बर, 2012 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एम. के. भटनागर, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आदेश प्राप्त से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(538)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दीप ईट-भट्टा औद्यो. सहकारी संस्था मर्यादित, कडवाला, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 734, दिनांक 8 दिसम्बर, 1999 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/1029, शाजापुर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 सितम्बर, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. मालवीय,  
उप-पंजीयक.

(538-A)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	शिवाजी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., देवास	372, दि. 01-12-1980	क्र./परि./12/1355, दि. 18-05-2012

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियों बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

पर्वतसिंह निंगवाल,  
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(539)

## कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रीवा

रीवा, दिनांक 4 मई, 2012

क्र./परि./12/657.—आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार निम्न परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाओं का पंजीयन समाप्त करने हेतु शीघ्र अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के सदस्यों या उनके वैध प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर अपने संस्था के लेनदारी-देनदारी से सम्बन्धित दावा/आपत्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, अन्यथा वे किसी भी प्रकार के लाभ के विभाजन से वंचित रखने के दायित्वाधीन होंगे और परिसमापक द्वारा उपलब्ध जानकारी/अभिलेखों के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा:—

क्रमांक	संस्था का नाम	परिसमापक का नाम
1	2	3
1.	वैद्यनाथ ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बैकुण्ठपुर	सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरमौर
2.	आरती महिला बहु. सह. समिति मर्या., नईगढ़ी	सहकारिता विस्तार अधिकारी, नईगढ़ी
3.	प्राथ. उ. सहकारी भण्डार मर्या., नईगढ़ी	सहकारिता विस्तार अधिकारी, नईगढ़ी
4.	शिवाजी दुग्ध उत्पादक सहकारी भण्डार मर्या., बड़ागांव	सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरमौर
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी भण्डार मर्या., बहेराडावर	सहकारिता विस्तार अधिकारी, मऊगंज
6.	आदि. मछुआ सहकारी भण्डार मर्या., टेरा	सहकारिता विस्तार अधिकारी, मऊगंज
7.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी भण्डार मर्या., पटपरा	सहकारिता विस्तार अधिकारी, मऊगंज
8.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी भण्डार मर्या., बंजारी	सहकारिता विस्तार अधिकारी, रायपुर कर्चु.
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी भण्डार मर्या., भीटा लक्षमणपुर	सहकारिता विस्तार अधिकारी, रायपुर कर्चु.
10.	ग्राम स्वराज मछुआ सहकारी भण्डार मर्या., रायपुर कर्चु.	सहकारिता विस्तार अधिकारी, रायपुर कर्चु.
11.	सत्यम ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी भण्डार मर्या., वार्ड 9, 10, रीवा	सहकारिता विस्तार अधिकारी, रीवा
12.	पंचमुखी ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी भण्डार मर्या., गोविन्दगढ़	सहकारिता विस्तार अधिकारी, रीवा
13.	शासकीय वेतनभोगी कर्म. सहकारी भण्डार मर्या., रीवा	सहकारिता विस्तार अधिकारी, रीवा
14.	हीना महिला बहुउद्देशीय सहकारी भण्डार मर्या., वार्ड 31, रीवा	सहकारिता विस्तार अधिकारी, रीवा
15.	किसान कल्याणकारी सहकारी भण्डार मर्या., रीवा	सहकारिता विस्तार अधिकारी, रीवा
16.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी भण्डार मर्या., वार्ड 32, रीवा	सहकारिता विस्तार अधिकारी, रीवा
17.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., वार्ड 6, रीवा पंजीयन क्रमांक 512, दिनांक 15-12-1965.	सहकारिता विस्तार अधिकारी, रीवा
18.	आदर्श प्राथ. उप. सहकारी भण्डार, वार्ड 11 अ, रीवा	सहकारिता विस्तार अधिकारी, रीवा
19.	ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., गढ़	सहकारिता विस्तार अधिकारी, गंगेव
20.	क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., मनगवां	सहकारिता विस्तार अधिकारी, गंगेव
21.	श्री जय प्रकाश मछुआ सहकारी समिति मर्या., दमोती	सहकारिता विस्तार अधिकारी, त्योथर
22.	माँ कर्मा रासायनिक खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति, हिनौती	सहकारिता विस्तार अधिकारी, नईगढ़ी
23.	कृष्ण दुग्ध सहकारी समिति मर्या., वैलवा सुरसरीसिंह	श्री व्ही.पी. दुबे
24.	सोनिया महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, रीवा	श्री व्ही.पी. दुबे
25.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., राजगढ़	श्री एल. बी. तिवारी, स.नि.
26.	इन्दिरा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार, वार्ड 06, रीवा	श्रीमती रीना श्रीवास्तव, सह. नि.

1	2	3
27.	आदर्श प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., वार्ड 13, रीवा	श्रीमती रीना श्रीवास्तव, सह. नि.
28.	ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या. खुटेरही, रीवा	श्रीमती रीना श्रीवास्तव, सह. नि.
29.	अदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. सिरमोर	सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरमोर.

आर. एम. सिंह,

(540)

सहायक आयुक्त.

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला धार

धार, दिनांक 30 अगस्त, 2012

#### “कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री लक्ष्मणसिंह पिता धनसिंह,  
अध्यक्ष, सहित समस्त संचालक मंडल सदस्य,  
आदिवासी मस्त्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पटलावद,  
पोस्ट—पटलावद, तह. धरमपुरी, जिला धार.  
(पंजीयन क्रमांक 950, दिनांक 03 अक्टूबर, 1994).

क्र./परि./2012/1500.— मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) में प्रावधान है कि जिन प्रयोजनों के लिए सोसायटी रजिस्ट्रीकृत की गई है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है तो सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जावेगा.

आपकी संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से पंजीकृत उपविधि के उद्देश्यानुसार कोई कार्य नहीं किया गया और न ही व्यवसाय किया गया है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क(1) की पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्यों न संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जावे. यदि इस संबंध में आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 18 सितम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका रहेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(536)

धार, दिनांक 30 अगस्त, 2012

#### “कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री कालूसिंह पिता मडिया,  
अध्यक्ष, सहित समस्त संचालक मंडल सदस्य/संस्था सदस्य,  
तालनपुर जलाशय आदिवासी मस्त्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी,  
पोस्ट—तालनपुर, तह. कुक्षी, जिला धार.  
(पंजीयन क्रमांक 1152, दिनांक 02 अप्रैल, 2003).

क्र./परि./2012/1502.— मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18-ए/क (1) में प्रावधान है कि जिन प्रयोजनों के लिए सोसायटी रजिस्ट्रीकृत की गई है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है तो सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जावेगा.

आपकी संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से पंजीकृत उपविधि के उद्देश्यानुसार कोई कार्य नहीं किया गया और न ही व्यवसाय किया गया है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क(1) की पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्यों न संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जावे. यदि इस संबंध में आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 18 सितम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका रहेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भंवर मकवाना,  
उप-रजिस्ट्रार.

(536-A)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरसोल, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 603, दिनांक 04 जनवरी, 1991 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/980/परिसमापन/2012 दिनांक 03 सितम्बर, 2012 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरसोल, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(534)

मन्दसौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौगांवा, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 711, दिनांक 24 दिसम्बर, 1993 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/980/परिसमापन/2012 दिनांक 03 सितम्बर, 2012 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौगांवा, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल औझा, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(534-A)

मन्दसौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अफजलपुर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 868 दिनांक 20 जुलाई, 2006 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/980/परिसमापन/2012 दिनांक 03 सितम्बर, 2012 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अफजलपुर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री राजेश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(534-B)

मन्दसौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बही पार्श्वनाथ, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 792, दिनांक 06 जनवरी, 1996 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/980/परिसमापन/2012 दिनांक 03 सितम्बर, 2012 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे।

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बही पार्श्वनाथ, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल औझा, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(534-C)

मन्दसौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुदियाना, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 869, दिनांक 20 जुलाई, 2006 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/980/परिसमापन/2012 दिनांक 03 सितम्बर, 2012 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे।

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुदियाना, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री राजेश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(534-D)

मन्दसौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गंगाखेड़ी, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 852 दिनांक 24 जुलाई, 2004 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/980/परिसमापन/2012 दिनांक 03 सितम्बर, 2012 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे।

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गंगाखेड़ी, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(534-E)

मन्दसौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लसुड़िया, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 855 दिनांक 05 अक्टूबर, 2009 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/980/परिसमापन/2012 दिनांक 03 सितम्बर, 2012 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे।

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। अतः लगाया गया आरोप संस्था को स्वीकार है।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लसुड़िया, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

भारत सिंह चौहान,  
उप-पंजीयक.

(534-F)

**कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा**

**संशोधित आदेश**

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल से दूरभाष दिनांक 11 मई, 2012 को हुई चर्चा अनुसार संघ के द्वारा जनता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., हरदा के विरुद्ध संचालित न्यायालयीन प्रकरणों में वादी तथा प्रतिवादी एक ही अधिकारी के होने से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिये मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिसमापक के रूप में आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/2432, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 में आंशिक संशोधन किया जाना न्यायालयीन दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

एतद्वारा उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री वी. के. शर्मा, पद आवास पर्यवेक्षक के स्थान पर श्री प्रदीप शिन्दे, आवास पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। श्री शर्मा आज ही संस्था का समस्त प्रभार नवागत परिसमापक श्री शिन्दे को सौंपकर आज ही कार्यालय को अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(537)

## संशोधित आदेश

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल से दूरभाष दिनांक 11 मई, 2012 को हुई चर्चा अनुसार संघ के द्वारा एकता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., हरदा के विरुद्ध संचालित न्यायालयीन प्रकरणों में वादी तथा प्रतिवादी एक ही अधिकारी के होने से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिये मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिसमापक के रूप में आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/2431 दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 में आंशिक संशोधन किया जाना न्यायालयीन दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

एतद्वारा उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री वी. के. शर्मा, पद आवास पर्यवेक्षक के स्थान पर श्री प्रदीप शिन्दे आवास पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। श्री शर्मा आज ही संस्था का समस्त प्रभार नवागत परिसमापक श्री शिन्दे को सौंपकर आज ही कार्यालय को अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(537-A)

हरदा, दिनांक 12 मई, 2012

## संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/814.— प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल से दूरभाष दिनांक 11 मई, 2012 को हुई चर्चा अनुसार संघ के द्वारा आभाष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., हरदा के विरुद्ध संचालित न्यायालयीन प्रकरणों में वादी तथा प्रतिवादी एक ही अधिकारी के होने से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिये मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिसमापक के रूप में आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/2430, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 में आंशिक संशोधन किया जाना न्यायालयीन दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

एतद्वारा उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री वी. के. शर्मा, पद आवास पर्यवेक्षक के स्थान पर श्री प्रदीप शिन्दे आवास पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। श्री शर्मा आज ही संस्था का समस्त प्रभार नवागत परिसमापक श्री शिन्दे को सौंपकर आज ही कार्यालय को अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(537-B)

हरदा, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2012/1472.—मॉ आदिशक्ति प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या., हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक 127, दिनांक 13 मार्च, 2006 है, को परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/12/दिनांक ..... दिया गया था. संस्था द्वारा समयावधि में उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्रों के सम्बंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

एतद्वारा मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मॉ आदिशक्ति प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या., हरदा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आनन्द गोधंलेकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आनन्द गोधंलेकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(537-C)

हरदा, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012

( मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत )

क्र./परि./2012/1473.—श्री साई महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., रिजगाँव जिसका पंजीयन क्रमांक 161, दिनांक 17 अगस्त, 2009 है, को परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/12/दिनांक ..... दिया गया था. संस्था द्वारा समयावधि में उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्रों के सम्बंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

एतद्वारा मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री साई महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., रिजगाँव को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री सुरेश सांवल्ले, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुरेश सांवल्ले, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(537-D)

हरदा, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012

( मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत )

क्र./परि./2012/1474.—आदर्श ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., तजपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 136, दिनांक 26 मई, 2006 है, को परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/12/दिनांक ..... दिया गया था. संस्था द्वारा समयावधि में उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्रों के सम्बंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

एतद्वारा मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदर्श ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., तजपुरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेश सांवल्ले, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुरेश सांवल्ले, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(537-E)

हरदा, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012

( मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत )

क्र./परि./2012/1475.—देशबन्धु मत्स्य सहकारी समिति मर्या., हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक 98, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 है, को परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/12/दिनांक ..... दिया गया था. संस्था द्वारा समयावधि में उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्रों के सम्बंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

एतद्वारा मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69



के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये देशबन्धु मत्स्य सहकारी समिति मर्या., हरदा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. भारद्वाज, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. के. भारद्वाज, उप-अंकेक्षक को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(537-F)

हरदा, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1476.—दक्षिणा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अबगॉवकला जिसका पंजीयन क्रमांक 166, दिनांक 29 अप्रैल, 2010 है, को परिसमान में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/12/दिनांक ..... दिया गया था. संस्था द्वारा समयावधि में उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्रों के सम्बंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

एतद्द्वारा मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दक्षिणा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अबगॉवकला को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. पी. सोलंकी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. पी. सोलंकी, उप-अंकेक्षक को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(537-G)

परमानंद गोडरिया,  
सहायक आयुक्त.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1169.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./934, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा आदिवासी कोंगोराजा खनिज उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुरजई, पं. क्र. 791, विकासखंड बरघांट, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए आदिवासी कोंगोराजा खनिज उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुरजई, पं. क्र. 791, विकासखंड बरघांट, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बरघांट को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519-J)

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./उपसि/परि./12/1170.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./922, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कटंगी, पं. क्र. 779, विकासखंड कुरई, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कटंगी, पं. क्र. 779, विकासखंड कुरई, सिवनी, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कुरई को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519-K)

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त, 2012

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./उपसि/परि./12/1171.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./937, दिनांक 16 जुलाई, 2012 के द्वारा प्रगतिशील यातायात सहकारी समिति मर्या., देवतामड, पं. क्र. 847, विकासखंड छपारा, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए प्रगतिशील यातायात सहकारी समिति मर्या., देवतामड, पं. क्र. 847, विकासखंड छपारा, जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड छपारा को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(519-L)

आर. एन. सिंह,  
उप-पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर-2012-कार्तिक 18, शके 1934

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील घाटीगांव (ग्वालियर), पोहरी, कोलारस (शिवपुरी), बमोरी (गुना), सीतामऊ (मंदसौर), राणापुर (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीबाड़ा, सोण्डबा (अलीराजपुर), कुक्षी, डही (धार), बुरहानपुर (बुरहानपुर), धनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, डबरा (ग्वालियर), शिवपुरी, खनियाधाना, नरवर, बदरवास, (शिवपुरी), अशोकनगर (अशोकनगर), राधोगढ़, चाचोड़ा (गुना), गौरीहार, छतरपुर (छतरपुर), भानपुर, मंदसौर, संजीत (मंदसौर), आगर (शाजापुर), उदयगढ़, भामरा (अलीराजपुर), मनावर, गंधवानी (धार), बड़वानी, पानसेमल, निवाली (बड़वानी), खिलचीपुर, ब्यावरा (राजगढ़), होशंगाबाद (होशंगाबाद), घंसोर (सिवनी), बारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील विजयपुर (श्यापुर), भितरवार (ग्वालियर), पिछोर, करैरा (शिवपुरी), कुंभराज (गुना), पलेरा (टीकमगढ़), राहतगढ़ (सागर), कुसमी (सीधी), मल्हारगढ़ (मंदसौर), खाचरौद, तराना, घटिया, बड़नगर (उज्जैन), नलखेड़ा, बडोद, शाजापुर (शाजापुर), सरदारपुर (धार), महेश्वर, कसरवाद (खरगौन), राजपुर, सेंधवा, बरला, पाटी (बड़वानी), जीरापुर (राजगढ़), ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया (भोपाल), वनखेड़ी (होशंगाबाद), सिवनी (सिवनी), लांजी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील सेंवड़ा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), मुंगावली, ईसागढ़, चंदेरी (अशोकनगर), आरोन (गुना), पृथ्वीपुर, निबाड़ी, जतारा, बल्देवगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), लौण्डी, नौगांव, राजनगर, बिजावर, बड़ा-मल्हारा, बकस्वाहा (छतरपुर), गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना, बंडा, खुरई, सागर, रहली, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली, मालथौन, शाहगढ़ (सागर), हटा, बटियागढ़, दमोह, पथरिया तेन्दूखेड़ा (दमोह), रघुराजनगर, मझगवां, रामपुर-बघेलान, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), त्योंथर, मऊगंज, हजूर,

गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), सुहागपुर, ब्योहारी, जैसिहनगर, जेतपुर, बुडार, गोहपारू (शहडोल), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, मझौली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सुबासराटप्पा, गरोठ, शामगढ़, घुन्धडका (मंदसौर), जावद, नीमच, मनासा (नीमच), महिदपुर, उज्जैन, नागदा (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, सुसनेर, शुजालपुर, कालापपीपल, गुलाना (शाजापुर), धार, बदनावर, धरमपुरी (धार), बड़वाह, सेगांव, खरगौन, गोगावां, भगवानपुर, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), खण्डवा, पंधाना (खण्डवा), खकनार, नेपालनगर (बुरहानपुर), राजगढ़, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बसौदा, नटेरन, विदिशा (विदिशा), हुजूर (भोपाल), शाहपुर, चिचौली, घोड़ाडोंगरी, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, बाबई, इटारसी, पिपरिया, पचमढ़ी (होशंगाबाद), पाटन, जबलपुर, मझौली, कुन्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही (कटनी), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, मोहखेड़ा हरई (छिन्दवाड़ा), केवलारी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, छपारा (सिवनी), बालाघाट, बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

( इ ) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक. — तहसील जबेरा, पटेरा (दमोह), सिरमोर (रीवा), गोपदवनास (सीधी), हरसूद (खण्डवा), भैसदेही (बैतूल), सिहोरा (जबलपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

( घ ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक. — तहसील जामई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, शाजापुर, झाबुआ, खरगौन, जबलपुर, कटनी, मण्डला, सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, नीमच, झाबुआ, खरगौन, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, मण्डला, कटनी, में खरीफ फसल का कार्य व कोदों-कुटकी की जगनी व खरीफ की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है तथा जिला श्योपुर ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सीहोर, होशंगाबाद, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.— जिला ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, छतरपुर, सागर, सतना, शहडोल, अनूपपुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, बैतूल, छिन्दवाड़ा बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2012

जिला/तहसीलें	1.ससाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>*जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पोरसा	..		(2) ..		
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगाढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	37.2				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	27.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	34.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	51.2				
4. घाटीगांव	17.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	187.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	175.0		(2) ..	..	
3. भाण्डेर	179.0				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	25.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	44.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	25.0				
4. नरवर	34.0				
5. करैरा	45.0				
6. कोलारस	6.0				
7. पोहरी	13.0				
8. बदरवास	23.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	59.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	82.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	18.2				
4. चन्देरी	84.2				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	55.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. ..
2. राघोगढ़	31.0		(2) ..	..	
3. बमोरी	7.0				
4. आरोन	69.0				
5. चाचौड़ा	20.0				
6. कुम्भराज	49.0				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	68.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	89.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	60.0				
4. मोहनगढ़	..				
5. टीकमगढ़	70.0				
6. लिधौरा	..				
7. बल्देवगढ़	92.0				
8. खरगापुर	..				
9. पलेरा	43.0				
10. ओरछा	78.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	140.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	18.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	86.5				
4. छतरपुर	28.0				
5. राजनगर	115.6				
6. बिजावर	65.0				
7. बड़ामलहरा	121.4				
8. बकस्वाहा	107.6				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	112.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	52.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	119.0				
4. पवई	76.0				
5. शाहनगर	78.2				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	133.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	53.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	197.2				
4. सागर	63.0				
5. रहली	115.8				
6. देवरी	56.0				
7. गढ़ाकोटा	90.8				
8. राहतगढ़	41.0				
9. केसली	114.0				
10. मालथौन	58.6				
11. शाहगढ़	145.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	205.0		4. (1) ...	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	174.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	204.8				
4. पथरिया	130.0				
5. जवेरा	302.0				
6. तेन्दूखेड़ा	76.6				
7. पटेरा	262.0				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	68.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	113.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बधेलान	68.0				
4. नागौद	71.1				
5. उचेहरा	64.0				
6. अमरपाटन	64.0				
7. रामनगर	114.0				
8. मैहर	67.0				
9. बिरसिंहपुर	98.0				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. ल्योंथर	153.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	262.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सेमरिया	..				
4. मऊगंज	162.0				
5. हनुमना	..				
6. हजूर	151.0				
7. जबा	..				
8. गुढ़	135.8				
9. रायपुरकर्जुलियान	157.0				
10. नईगढ़ी	..				
11. मनगवां	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	77.0		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	125.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	141.0				
4. जैतपुर	185.0				
5. बुढ़ार	167.0				
6. गोहपारू	191.0				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जेतहरी	179.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	185.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	146.0				
4. पुष्पराजगढ़	151.4				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	98.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	107.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	127.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसलों की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	257.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	145.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	67.8				
4. कुसमी	51.0				
5. चुरहट	119.9				
6. रामपुरनैकिन	143.9				
<b>*जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	77.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	30.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	40.0				
4. गरोठ	87.6				
5. मन्दासौर	32.0				
6. धुन्डका	72.0				
7. सीतामऊ	9.4				
8. शामगढ़	98.2				
9. संजीत	30.0				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. जावद	167.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	198.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	244.0				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	44.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	58.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	45.0				
4. घटिया	50.0				
5. उज्जैन	78.0				
6. बड़नगर	42.0				
7. नागदा	70.0				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	65.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	71.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	39.0				
4. आगर	23.0				
5. बड़ौद	44.0				
6. शाजापुर	43.0				
7. शुजालपुर	101.0				
8. कालापीपल	94.0				
9. गुलाना	63.0				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	2.0				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जोवट	14.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	10.6		(2) ..	..	
3. उदयगढ़	19.6				
4. भामरा	21.0				
5. सोण्डवा	5.0				
6. कट्टीवाड़ा	13.2				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	53.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	49.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	63.7				
4. कुक्षी	16.8				
5. मनावर	29.0				
6. धरमपुरी	81.0				
7. गंधवानी	32.0				
8. डही	14.0				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला प. निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	106.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	40.6				
4. सेगांव	57.0				
5. करही	..				
6. खरगोन	103.8				
7. गोगावां	60.0				
8. कसरावद	48.8				
9. मुल्तान	..				
10. भगवानपुरा	65.9				
11. भीकनगांव	127.0				
12. झिरन्या	78.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	19.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	91.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	53.0				
4. सेंधवा	46.0				
5. पानसेमल	21.0				
6. पाटी	40.0				
7. निवाली	31.0				
8. अंजड़	91.2				
9. वरला	46.0				
<b>जिला पूर्ण-निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	224.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	104.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	298.0				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	17.4		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खकनार	135.8		(2) . .		
3. नेपानगर	183.5				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	42.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	26.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	55.4				
4. पचोर	. .				
5. ब्यावरा	33.4				
6. सारंगपुर	59.0				
7. नरसिंहगढ़	85.3				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	117.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	95.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	60.2				
4. बासौदा	82.0				
5. नटेरन	134.0				
6. विदिशा	82.0				
7. ग्यारसपुर	46.0				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	49.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	56.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	. .				
4. जोवट	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. बुधनी	. .				
8. रेहटी	. .				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	328.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	231.9		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	201.6				
4. चिचोली	168.2				
5. बैतूल	152.3				
6. मुलताई	78.2				
7. आढनेर	105.0				
8. आमला	102.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	136.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	25.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	54.0				
4. इटारसी	113.0				
5. सोहागपुर	50.0				
6. पिपरिया	71.9				
7. वनखेड़ी	36.2				
8. पचमढी	92.6				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. रहटगांव	..				
6. सिराली	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	312.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	102.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	196.0				
4. मझौली	180.6				
5. कुण्डम	203.5				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	150.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	54.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	99.0				
4. बहोरीबंद	101.0				
5. ढीमरखेड़ा	147.0				
6. बड़वारा	..				
7. बरही	128.0				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला नरसिंहपुर</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	7. . .
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवास	139.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	118.5		(2) ..		
3. नैनपुर	100.9				
4. मण्डला	168.0				
5. घुघरी	57.3				
6. नारायणगंज	140.2				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. कोंदो कुटकी एवं जगनी की व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	91.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	164.0		(2) ..		
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	86.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	244.4		(2) ..		
3. परासिया	196.5				
4. जामई (तामिया)	491.8				
5. सोंसर	149.6				
6. पांडुर्णा	110.0				
7. अमरवाड़ा	127.2				
8. चौरई	128.6				
9. बिछुआ	83.3				
10. हरई	91.2				
11. मोहखेड़ा	142.2				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई हेतु जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	44.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	74.0		(2) ..		
3. लखनादौन	76.5				
4. बरघाट	139.7				
5. कुरई	144.0				
6. घंसौर	24.0				
7. घनोरा	12.8				
8. छपारा	106.5				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	117.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	35.6		(2) ..		
3. बैहर	203.0				
4. वारासिवनी	29.8				
5. कटंगी	43.4				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला मुरैना, सिंगरौली, रतलाम, रायसेन, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(526) .